

बिहार विधान सभा के चालू सत्र के लिए तारांकित प्रश्न

<p>श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक -21.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-पुन-4 के संबंध में</p> <p>क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना</p>
<p>प्रश्न</p>	<p>उत्तर</p>
<p>क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत मटिहानी प्रखण्ड के सिंहया पंचायत के 100 परिवारों को कृषि योग्य 10,000 एकड़ जमीन गंगा में भीषण कटाव के कारण विलीन हो गई एवं किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है; यदि हाँ तो क्या सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>सिंहमा पंचायत में गंगा नदी से जमीन कटी है और कटी हुई जमीन गंगा में विलीन हो गई है, जिसका ब्योरा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इस अंचल के मौजा सिंहमा में सर्वे कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण मौजा की जमीन का नापी कार्य दो माह में समाप्त होने की संभावना है। इसके पश्चात ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में कितने किसानों की कितनी कृषि योग्य भूमि गंगा में विलीन हुई। रिलीफ कोड के अनुसार 25000/- रु० प्रति हेक्टेयर की दर से लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदान प्रदान किया जायेगा जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक होंगे।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि० स० ता० प्र० -11 / 2014 / / आ० प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक -430
दि०-15.02.2014 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04 / वि० स० ता० प्र० -11 / 2014 / 828 / आ० प्र०, पटना-15, दि०- 4/2/14.

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई० टी० मैनेजर, आ० प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय
वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित । ✓

4/2/14
विशेष कार्य पदाधिकारी